आपदा एवं मानवीय सहयोग

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क (उपवन)

10 सत्यलोक कॉलोनी, मोहिबुल्लापुर, मड़ियाँव,
सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021 (उ.प्र.)
फोन / फैक्स : (0522) 2361563, 2732267
ई-मेल: info@upvan.org वेबसाइट: www.upvan.org

संदर्भ : 036/10171/07 दिनांक : 08/08/07

सेवा में,

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र इस समय बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। इसमें लाखों घर उजड़ रहे हैं। बच्चे लावारिस होकर मानवी दुष्प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं। सरकार के राजस्व विभाग एवं राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा इस आकस्मिक आपदा निवारण का संहत कार्यक्रम बनाया गया है। किन्तु इतने वृहद स्तर पर बाढ़ की स्थिति का समाधान केवल सरकारी तंत्र से सम्भव नहीं है। अतएव नागर समाज संगठनों को भी इसमें सहयोगी भूमिका निभाने के लिये आगे आना है। इस उद्देश्य से आपको राजस्व विभाग की ओर से निर्गत शासनादेश की प्रति प्रेषित की जा रही है, ताकि आप सरकारी सहायता की प्रकृति से स्वयं अवगत होकर अपने क्षेत्र के लोगों को परिचित करा सकें।

संलग्नक : शासनादेश की प्रति

भवदीय

(अशोक सिंह)

सचिव

संख्या-जी.आई.-134/1-11-2007-46/97

प्रेषक,

एस.आर.लाखा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2007

विषय :- प्राकृतिक/दैवी आपदाओं (बाढ़/सूखा/अग्निकाण्ड/भूकम्प/भूस्खलन/शीतलहरी/लू प्रकोप/ओलावृष्टि/ अतिवृष्टि/ आकाशीय विद्युत प्रभाव/बादल का फटना/हिमस्खलन/कीट आक्रमण इत्यादि) से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी.आई.-156/1-11-2004-46/96, दिनांक 01 मार्च, 2005 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए विभिन्न मदों एवं मानकों हेतु संलग्न सूची के अनुसार व्यय किये जाने को श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संशोधित राहत दरें (जैसा कि भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या-32-34/2005/NDM-1 दिनांक 27 जून 2007 में उल्लिखित है) दिनांक 27 जून, 2007 से घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से प्रभावित पात्र परिवारों/व्यक्तियों को अनुमन्य होंगी।

3- संशोधित दरों के अनुसार सहायता की स्वीकृति रू. 5000/- तक तहसीलदार, रू. 7500 तक परगनाधिकारी तथा रू. 7500/- से अधिक की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। मानव मृत्यु की दशा में व्यय की स्वीकृति परगनाधिकारी के स्तर से प्रदान की जायेगी।

4- अत: अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार ही सी.आर.एफ./ एन.सी. सी.एफ. से आवंटित धनराशि का वितरण संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाय तथा धनावंटन हेतु प्रस्ताव उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(एस.आर.लाखा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-जी.आई.-134(1)/1-11-2007--46/97, तद्दिनांक।

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

6- महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ), लखनऊ।

7- महानिदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।

9- राजस्व अनुभाग-10

10- गार्ड फाइल।

संलग्नकः- यथोक्त।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता हेतु वर्ष 2005-2010 तक के लिये संशोधित मदों की सूची तथा इनकी मानक दरें

(एम.एच.ए. पत्रसंख्या 32-34/2007-एन.डी.एम.-आई दिनांक 27 जून 2007)

क्र.सं.	मद	सहायता की मानक दरें
1	**अहैतुक सहायता**	
	(अ) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	**रू. 1.00 लाख/प्रति मृतक** ● राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि मृत्यु का कारण, वित्त मंत्रालय के सी.आर. एफ./एन.सी.सी.एफ. स्कीम में अधिसूचित, प्राकृतिक आपदा द्वारा है। ● अधिसूचित आपदा के उपरांत राहत कार्य अथवा आपदा पूर्व तैयारी यथा माक ड्रिल आदि में यदि कोई सरकारी सेवक/राहत कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को देय अनुग्रह सहायता रू. 1.00 लाख/प्रति मृतक देय होगी। ● यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के अन्तर्गत राहत सहायता अनुमन्य नहीं होगी। ● इसी प्रकार यदि कोई विदेशी नागरिक की भारत भूमि पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के अंतर्गत राहत सहायता अनुमन्य नहीं होगी।
	(ब) किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता	(1) **रू. 35,000/- प्रति व्यक्ति** (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के मध्य हो।) (2) **रू. 50,000/- प्रति व्यक्ति** (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 75 प्रतिशत से अधिक हो।)
	(स) गंभीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े।	● **रू. 7,500-/ प्रति व्यक्ति** (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।) ● रू. 2,500/- प्रति व्यक्ति (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।)

	(द) वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	● रू. 20/- प्रति वयस्क और रू. 15/- प्रति अवयस्क प्रति दिवस।
	(क) जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह गये हों/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हों/एक सप्ताह से अधिक समय से गम्भीर रूप से जलमग्न हो गये हों उनके लिये कपड़े और बर्तन/घरेलू सामग्री हेतु प्रति परिवार सहायता।	● रू. 1,000/- प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर और रू. 1,000/- प्रति परिवार बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।
	(ख) आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता- यह सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास संचित खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो, या उनके पास संचित खाद्य सामग्री आपदा के फलस्वरूप नष्ट हो गयी हो, उनके पास तात्कालिक सहायता के अन्य श्रोत न हों।	● रू. 20/- प्रति वयस्क, और रू. 15/- प्रति अवयस्क प्रति दिवस।
		अहैतुक सहायता प्रदान करने हेतु समय सीमा
		(1) सूखा और कीट आक्रमण (केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव) के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा। ● 15 दिवस से अनधिक समय के लिये। ● उपरोक्त अधिसूचित, गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से सी.आर.एफ. की मानक दरों के अंतर्गत और एन.सी.सी.एफ. अंतर्गत सहायता के लिये केन्द्रीय दल के आकलन से 30 दिवस तक राहत सहायता प्रदान की जा सकती है। (2) सूखा/कीट आक्रमण(केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव) ● अधिकतम 60 दिवस तक राहत सहायता एवं गंभीर सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिवस तक। ● यदि सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति 90 दिवस से अधिक बने रहने की दशा में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर सी.आर.एफ. से राहत हेतु मौके पर प्रवृत्त वास्तविक स्थिति के मासिक आधार पर निर्धारण कर सकती है।
2.	अतिरिक्त पुष्टाहार	आई.सी.डी.एस. के मानक के अनुसार रू. 2.00 प्र.दि. प्रति व्यक्ति राहत के लिये समय सीमा (1) सूखा और कीट आक्रमण (केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव)के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा। ● राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से

		सी.आर.एफ. की मानक दरों के अंतर्गत और एन.सी. सी.एफ.अंतर्गत सहायता के लिये केंद्रीय दल के आकलन से 30 दिवस तक राहत सहायता प्रदान की जा सकती है। (2) सूखा/कीट आक्रमण(केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव) ● अधिकतम 60 दिवस तक राहत सहायता एवं गंभीर सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिवस तक। ● यदि सूखा/कीट आक्रमण की गंभीर स्थिति रहने की दशा में सी.आर.एफ. हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से राहत 90 दिवस से अनधिक समय तक दिया जा सकता है और एन.सी.सी.एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार दिया जाना।
3.	लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु	
	क) कृषि प्रयोज्य भूमि की डिसिल्टिंग	● रू. 6000/- प्रति हैक्टेयर: (जहाँ पर,जमा रेत/गाद की मोटाई 03 इंच से अधिक हो। इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो।
	ख) पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि भूमि से मलवा हटाने हेतु।	● रू. 6000/- प्रति हैक्टेयर।
	ग) डिसिल्टिंग/पुनर्स्थापना/मत्स्य फार्म मरम्मत।	● रू. 6000/- प्रति हैक्टेयर। (इस शर्त के साथ कि पीड़ित व्यक्ति ने कोई अन्य सहायता/अनुदान का उपभोग न किया हो/किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता/अनुदान हेतु पात्र न हो।)
	घ) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भूभाग का नष्ट हो जाना।	● रू. 15,000/- प्रति हैक्टेयर। (यह सहायता उन लघु तथा सीमान्त कृषकों को उनकी नष्ट हुई भूमि के सापेक्ष अनुमन्य होगी जो राजस्व अभिलेखों में भूमि के विधिक भूस्वामी हों।)
	च) कृषि निवेश अनुदान जहाँ पर फसल का नुकसान 50प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो	
	(1) कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिये।	● रू. 2,000/- प्रति हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र में। ● रू. 4,000/- प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। (क) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू. 250/ होगी।
	(2) बारहमासी फसलें	● रू. 6,000/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। (क) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख)लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू. 500/- से कम नहीं होगी।
4.	लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान।	50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल नुकसान पर, 01 हैक्टेयर प्रति कृषक तथा 02 हैक्टेयर प्रति कृषक

		लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में (कृषक की भूमि जोत बड़ी होने की दशा में भी) निम्न दरों के अनुसार सहायता दी जायेगी। ● रू. 2,000/- प्रति हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र में। ● रू. 4,000/- प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। ● रू. 6,000/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।
5.	लघु तथा सीमान्त रेशम उत्पादक कृषकों के लिए सहायता	● रू. 2,000/- प्रति हैक्टेयर इरी, मलबरी, और टसर के लिये। ● रू. 2,500/- प्रति हैक्टेयर मूगा के लिये।
6.	रोजगार सृजन (रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं यथा एन.आर.इ.जी.पी., एस. जी.आर.वाइ. आदि से रोजगार सृजन हेतु उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु।)	● अकुशल श्रमिक हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर दैनिक मजदूरी। ● राज्य में खाद्यान्न की उपलब्धता के अनुसार, आपदा राहत निधि से देय अंशदान की सीमा 08 किलो ग्राम गेहूं या 05 किलोग्राम चावल प्रति मानव दिवस, होगी। खाद्यान्न के मूल्य का आकलन 'आर्थिक मूल्य' के आधार पर किया जायेगा। ● न्यूनतम मजदूरी का अवशेष भाग नगद के रूप में दिया जायेगा, मजदूरी के नगद भाग की सीमा न्यूनतम मजदूरी के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। ● उपरोक्त सहायता माह में 10 दिवस तक ही अनुमन्य होगी। (ऐसे क्षेत्र में जहां पर रोजगार सृजन की अन्य स्कीम प्रवत्त न हो वहां पर माह में 15 दिवस) ● राज्य सरकार के लिये आवश्यक होगा कि आवंटित खाद्यान्न का उठान तथा उपभोग आवंटन आदेश की तिथि के 03 माह की समय सीमा के अंदर कर लिया जाय। समय सीमा की बढ़ोत्तरी अनुमन्य नहीं होगी। ● प्रभावित क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन कर ग्रामीण परिवार के इच्छुक एक व्यक्ति को कार्य प्रदान किया जायेगा। ● अन्य निर्देश जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करेगी और एन. सी.सी.एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।
7.	पशुपालन : लघु और सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को सहायता। (1) दुधारू, अदुधारू, भारवाहक पशु की प्रतिपूर्ति	<u>दुधारू पशु</u> 1) भैंस/गाय/ऊंट/याक आदि रू. 10,000/- की दर से 2) भेड़/बकरी रू. 1000/- की दर से। <u>दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु</u> 1) ऊंट/घोड़ा/बैल आदि रू. 10,000/- की दर से। 2) बछड़ा, गधा, खच्चर रू. 5,000/- की दर से।

7

		● देय सहायता निम्न अनुबन्धों के आधीन होगी– यह सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं तक ही सीमित होगी। सहायता की परिसीमा 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु अथवा एक बड़े अदुधारू या दो छोटे अदुधारू पशु प्रति घरेलू इकाई के दर से देय होगी (वास्तविक क्षति चाहे जितनी भी अधिक हो उपरोक्त मानक के अनुसार ही सहायता अनुमन्य होगी)। (पशुधन क्षति, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।) <u>कुक्कुट पालन</u> ● कुक्कुट रू. 30/ प्रति पक्षी की दर से वास्तविक क्षति के बावजूद देय सहायता की परिसीमा रु 300/ प्रति लाभान्वित घरेलू इकाई के दर से देय होगी। कुक्कुट की क्षति अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुई हो। नोट: उक्त मदों में राहत, किसी अन्य सरकारी योजना में सहायता के उपलब्ध होने पर अनुमन्य नहीं होगी। उदाहरणार्थ एवियन इनफ्लेंउंजा या ऐसी अन्य कोई बीमारी जिसमें पशु-पालन विभाग के पास सहायता की विशिष्ट योजना प्रवृत है।
	(2) पशु कैम्पों में चारा/खाने का प्राविधान।	● बड़े पशु- रू. 20/- प्रति दिवस। ● छोटे पशु- रू. 10/- प्रति दिवस। <u>सहायता प्रदान करने का समयान्तराल</u> (1) सूखे को छोड़कर अन्य अधिसूचित आपदा में ● अधिकतम 15 दिवस तक। <u>(2) सूखा</u> ● अधिकतम 60 दिवस किन्तु गंभीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक। ● यदि गंभीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।
	(3) पशु कैम्पों में पानी की आपूर्ति	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति एवं एन.सी.सी.एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। <u>सहायता प्रदान करने का अन्तराल</u> 1) सूखे को छोड़ कर अन्य अधिसूचित आपदा में। ● अधिकतम 15 दिवस तक। 2) सूखा ● अधिकतम 60 दिवस किन्तु गंभीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक।

		● यदि गंभीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन पर सी.आर.एफ. से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।
	(4) दवाइयों और वैक्सीन पर अतिरिक्त व्यय (आपदा सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु)	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।
	(5) पशु कैम्पों के बाहर चारे की व्यवस्था	● आपदा के कारण मान्यता प्राप्त चारे के भंडार से परिवहन पर हुए अतिरिक्त व्यय के समतुल्य(आपदा के कारण बढ़ी मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु) राहत, मूल्य वृद्धि प्रत्येक स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन. सी.सी.एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।
	(6) उपयोगी पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिगमन।	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।
8.	मछुवारों को सहायता (ए) क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए- नावों, जालों की मरम्मत/पुर्नस्थापना - नाव - सकरी नाव - लट्ठा (यदि पीड़ित व्यक्ति उक्त आपदा के लिए किसी अन्य सरकारी योजना में अनुदान/ सहायता पा चुका है या पाने का पात्र है, तो इस मद से सहायता नहीं दी जायेगी।	● रू. 2,500/- (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परंपरागत क्राफ्ट और जाल के मरम्मत हेतु) ● रू. 7,500/- (पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परंपरागत् क्राफ्ट और जाल के मरम्मत हेतु।) ● क्षतिग्रस्तता की सीमा (पूर्ण अथवा आंशिक) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।
	(बी) मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	● रू. 4,000/- प्रति है. ● (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी, मत्स्य की योजनाओं में एकमुश्त अनुदान योजना को छोड़कर यदि पीड़ित व्यक्ति ने तात्कालिक आपदा में कोई अन्य सहायता/अनुदान का उपभोग किया हो/किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता/अनुदान हेतु पात्र हो तो यह सहायता अनुमन्य नहीं होगी।)
9.	हथकरघा/हस्तशिल्प सेक्टर के दस्तकारों हेतु सहायता/ अनुदान के माध्यम से दस्तकारी औजारों की मरम्मत/प्रतिपूर्ति।	
	क) परंपरागत दस्तकारी (हस्तशिल्प)	
	(1)क्षतिग्रस्त औजार/संयंत्र के बदलने के लिये	● रू. 2,000/- प्रति दस्तकार।

		● क्षतिग्रस्तता की सीमा (पूर्ण अथवा आंशिक) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।
	(2) कच्चा माल/विनिर्माण की प्रक्रिया में उत्पाद/विनिर्मित उत्पाद	● रू. 2,000/- प्रति दस्तकार। ● क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/ विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।
	ख) हथकरघा बुनकर के लिये	
	(1) हथकरघा से संबंधित उपकरणों (लूम)/ सहायक औजारों के मरम्मत/बदलने के लिये	<u>लूम की मरम्मत के लिये</u> ● रू. 1000/- प्रति लूम <u>लूम को बदलने के लिये</u> ● रू. 2000/- प्रति लूम ● क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/ विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।
	(2) धागे और अन्य सामग्री यथा डाई, रसायन, तैयार स्टाक के क्रय के लिये।	● रू. 2000/- प्रति लूम ● क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/ विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।
10.	**क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता।**	● क्षतिग्रस्त मकान एक प्राधिकृत निर्माण होना चाहिये तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने इस बात का विनिश्चय किया हो। ● क्षतिग्रस्तता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	
	(1) पक्का मकान	● रू. 25,000/- प्रति मकान
	(2) कच्चा मकान	● रू. 10,000/- प्रति मकान
	(ख) अधिकांश क्षतिग्रस्त	
	(1) पक्का मकान	● रू. 5,000/- प्रति मकान
	(2) कच्चा मकान	● रू. 2,500/- प्रति मकान
	(ग) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान- कच्चा अथवा पक्का (झोपड़ी के अतिरिक्त)(जहां पर नुकसान 15 प्रतिशत की सीमा तक हो।)	● रू. 1,500/- प्रति मकान
	(घ) झोपड़ी : क्षतिग्रस्त/नष्ट	● रू. 2,000/- प्रति झोपड़ी ● झोपड़ी से आशय- फूस, मिट्टी, प्लास्टिक शीट, आदि से बने अस्थाई निवास जो कच्चे मकान से भी निम्न श्रेणी के हों। जो परंपरागत रूप से राज्य/ जिला प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये हैं।
11.	आपात स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।

12.	महामारी रोकने हेतु दवाइयां, कीटनाशक तथा वी संक्रामक की व्यवस्था	● तदैव
13.	पशुओं एवं कुक्कुट में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के उपरांत महामारी रोकने हेतु चिकित्सा व्यवस्था	● तदैव
14.	प्रभावित/सम्भावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु	● तदैव
15.	तत्कालिक सहायता और जीवन रक्षा हेतु नाव किराये पर लिये जाने हेतु	● तदैव ● अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में आपदा से फंसे हुए व्यक्तियों के बचाव हेतु आवश्यक उपकरण तथा किराये पर नाव में होने वाला वास्तविक व्यय की सीमा तक सहायता अनुमन्य होगी।
16.	प्रभावित/सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थाई आवास, भोजन, वस्त्र, दवाइयां आदि की व्यवस्था। (राहत कैम्प पर)	● जैसा कि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● वास्तविक व्यय की सीमा तक नियत समय अन्तराल तक सहायता अनुमन्य होगी। <u>समय अवधि</u> ● सूखे के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकतम 15 दिन। ● सूखे के अतिरिक्त गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकतम 30 दिन। <u>सूखा</u> ● सूखे की स्थिति में दी जाने वाली राहत सहायता 60 दिवस तक और गंभीर प्रकृति के सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक देय होगी। ● यदि गंभीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर एन.सी.सी. एफ. से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।
17.	आवश्यक वस्तुओं की एयर ड्रापिंग	● जैसा कि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● सहायता की सीमा, आवश्यक वस्तुओं की एयर ड्रापिंग हेतु वायुसेना/अन्य सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक बिल तक सीमित रहेगी।
18.	निर्दिष्ट सेक्टर में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/ अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति का मरम्मत/पुनर्निर्माण ● (1) सड़क एवं पुल (2)पेयजल आपूर्ति	<u>तात्कालिक प्रकृति के कार्य</u> ● तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की सूची जिसका कार्यान्वयन किया जा सकता है, संलग्नक–एक में वर्णित है।

	(3) सिंचाई (4) विद्युत (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु) (5) प्राथमिक शिक्षा (6)प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियां ● क्षेत्र जैसे दूरसंचार और विद्युत (तत्काल विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और अपने संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, सम्मिलित नहीं हैं।	समय सीमा ● तात्कालिक प्रकृति के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा निम्न होगी। मैदानी भाग के लिये ● सामान्य आपदा हेतु 30 दिवस। ● गम्भीर आपदा हेतु 45 दिवस। पहाड़ी क्षेत्रों हेतु ● सामान्य आपदा हेतु 45 दिवस। ● गम्भीर आपदा हेतु 60 दिवस। आवश्यकता का आकलन ● जैसा कि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे।
19.	क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों को बदलना और सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों की नष्ट हुई दवाइयों हेतु।	● जैसा कि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● राहत के परिमाण की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी।
20.	अस्थाई डिस्पेन्सरी, सचल मेडिकल टीम, एम्बुलेन्स सेवाओं (केवल पी.ओ.एल.) के संचालन पर व्यय।	● तदैव ● मदों की सूची, जिनका संचालन व्यय सामान्यत: शामिल होगा:- □ अस्थाई चिकित्सा कैम्प/अस्थाई, डिस्पेन्सरी के स्थापना में व्यय □ एम्बुलेन्स को किराये पर लिया जाना □ सचल चिकित्सा दलों हेतु वाहन किराये पर लिया जाना □ सचल चिकित्सा दलों हेतु एम्बुलेन्स/वाहन पर होने वाला वास्तविक पी.ओ.एल. व्यय।
21.	मलवे को हटाने में होने वाला व्यय।	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● राहत के परिमाण की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी। ● मलवा साफ करने के व्यय में बसावट के क्षेत्र में पत्थर, ईटा, स्टील, लोहा सम्मिलित है।
22.	प्रभावित क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी।	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● राहत के परिमाण की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी।
23.	खोज एवं बचाव कार्यों में व्यय।	● जैसाकि सी.आर.एफ. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एन.सी.सी. एफ. से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करे। ● राहत के परिमाण की सीमा, अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में दो हफ्ते अंदर हुए खोज एवं बचाव के कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय के समतुल्य होगा।

24.	मानव एवं पशु शवों का निस्तारण	● राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक आधार पर।
25.	विशेषज्ञ मल्टी डिसिप्ल्नरी समूह/राज्य सरकार के विभिन्न संवर्ग/सेवाओं के कार्मिकों की टीम/आपदा प्रबन्धन में लगे कार्मिक	● राज्य आपदा राहत समिति के आकलन के आधार पर व्यय सी.आर.एफ. (एन.सी.सी.एफ. पर नहीं) पर भारित होगा। ● मद 25 तथा मद 26 में सम्मिलित रूप से होने वाला कुल व्यय आपदा राहत निधि के वार्षिक आवंटन के 10 फीसदी से अनधिक होगा।
26.	संचार के उपकरण को सम्मिलित करते हुए, अपरिहार्य खोज, बचाव और इवैक्युएशन उपकरण की सरकारी खरीद।	● तदैव।
	नई मदें	**दरें**
27.	भूस्खलन, बादल का फटना और हिमस्खलन	● विभिन्न मदों के लिये दरें अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के समान होंगी जैसा कि ऊपर वर्णित है।
28.	कीट आक्रमण (केवल टिड्डी दल एवं चूहे की समस्या)	● कीट आक्रमण से फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में दी जाने वाली सहायता के मानक अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त फसल में प्रभावित कृषकों को दी जाने वाली सहायता के मानक के सदृश होंगे। ● कीट नियंत्रण में वायुयान द्वारा कीटनाशक के छिड़काव में होने वाला व्यय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की चालू योजनाओं के अंतर्गत किया जायेगा; क्योंकि कीटनाशक का छिड़काव कृषक की मिल्कियत के प्लाट टू प्लाट सर्वे के आधार पर न होकर एक विस्तृत क्षेत्र में एक साथ किया जाता है।
29.	(1) आग	अग्नि के लिये वर्तमान प्राकृतिक आपदा के मानक ● आवासीय क्षेत्र के अग्निकांड में, दुर्घटनावश लगी आग से जान-माल, हाथ-पैर, फसलों, सम्पत्ति आदि की क्षति/नुकसान में अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मानकों तथा मदों के सदृश सहायता प्रदान की जायेगी। ● सहायता की पात्रता उपरोक्त मानकों के अनुसार राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। ● जंगल में लगी आग सम्बन्धी घटनाएं कुछ सीमा तक वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की योजना द्वारा आच्छादित की जा सकती है तथा एकीकृत वन सुरक्षा योजना। जंगल में लगी आग से जान-माल, हाथ-पैर, फसलों संपत्ति आदि की क्षति/नुकसान में राहत सहायता अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मानकों तथा मदों के सदृश उस सीमा तक दी जा सकती है कि नुकसान, एकीकृत वन सुरक्षा योजना से आच्छादित न हो। ● औद्योगिक, वाणिज्यिक स्थापनाओं में हुई अग्निकांड दुर्घटना के लिये आावश्यक है कि इसे बीमा से आच्छादित किया जाय।

संलग्नक
(मद संख्या 18 हेतु)

तात्कालिक प्रकृति कार्यों की चिन्हित सूची

1. पेयजल आपूर्ति

(1) हैंडपंप/कुआं/स्प्रिंग टैब चेम्बर/पब्लिक स्टैंड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत।

(2) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट की पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त पाइप लेन्थ को नये पाइप से बदलने, जल भंडारण की सफाई (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

(3) क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीन की मरम्मत, ओवरहेड पानी भण्डारण की मरम्मत, और पानी के पंप की मरम्मत, पहुंचने के रास्ते/घाट सहित।

2. मार्ग

(1) मार्ग में आयी दरारों और गड्ढों का भराव, पानी के रास्तों हेतु पाइप का प्रयोग, किनारों की मरम्मत तथा पत्थर से भराव।

(2) खराब टूटे दरार वाले नालों/पुलिया (कलवर्ट) की मरम्मत।

(3) तात्कालिक संपर्क/परिवहन हेतु पानी में बहे पुलों/किनारों/तटों का डाइवर्जन द्वारा सम्पर्क प्रदान करना।

(4) पुल/पुल के किनारों/तटों का अस्थाई मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल संपर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/पहुंचने के रास्ते की मरम्मत, विभिन्न शरणालय/राहत केन्द्र से आपदा क्षेत्र के मध्य संपर्क मार्ग का मरम्मत परिवहन की पुर्नस्थापना हेतु।

3. सिंचाई

(1) क्षतिग्रस्त नहर संरचना का तात्कालिक मरम्मत, टैंक, छोटे पानी के भण्डारण में कच्चा (अर्थ) तथा पक्का (सीमेंट) कार्य, सीमेंट, सैन्ड बैग, पत्थर के प्रयोग के साथ।

(2) कमजोर क्षेत्र यथा पाइपिंग, सूक्ष्म दरारों का बांध की दीवार/तटबन्धों की मरम्मत।

(3) नहर/नालों से खरपतवार/भवन निर्माण सामग्री/मलवों को हटाना।

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवनों, और विद्युत सप्लाई की मरम्मत।

5. पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियां

अ. गांवों की आंतरिक संपर्क मार्गों का मरम्मत।

ब. ड्रेनेज/सीवरेज़ से मलवे की निकासी।

स. आंतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन्स की मरम्मत।

द. स्ट्रीट लाइट की मरम्मत।

य. पंचायतघर, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि की अस्थाई मरम्मत।